

प्रारूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

70- खटीमा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, निवासी-वार्ड नं०-13 खटीमा, पोस्ट ऑफिस-खटीमा, जिला-ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड जो (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए/की गई है।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई है।

स्थान:-रूद्रपुर।

तारीख-10.03.2022

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग ऑफिसर
70-297/21.....विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
रिटर्निंग ऑफिसर

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)

Form 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when Seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **Uttarakhand** from **70- Khatima** Assembly constituency.

In pursuance to the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the conduct of Election Rules 1961, I declare that-

Shri Bhuwan Chandra Kapri

Ward No.-13 Khatima, P.O.-Khatima, Udham Singh Nagar [sponsored by **Indian National Congress**] has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency.

Place: Rudrapur

Date: 10-03-2022

Signature -----

Returning Officer

10/03/2022
70-Khatima विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
रिटर्निंग ऑफिसर